



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र 1940 (श0)
(सं0 पटना 836) पटना, सोमवार, 10 सितम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2018

एस० ओ० 234, दिनांक 10 सितम्बर 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :-

1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (नौवाँ संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(2) ये दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,-

(i) नियम 117 में,

(क) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(1क) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो सामान्य पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण देय तारीख तक उक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सके, के सम्बन्ध में और उन व्यक्तियों जिनकी परिषद् ने ऐसे विस्तार के लिए सिफारिश की है, के सम्बन्ध में प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी और अवधि तक, जो 31 मार्च, 2019 से आगे की नहीं होगी, बढ़ा सकेगा।”;

- (ख) उपनियम (4) के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 “परंतु उपनियम (1क) के अनुसार प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा फाइल करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 अप्रैल, 2019 तक प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 में विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे।”;
- (ii) नियम 142 के उपनियम (5) में, “धारा 76 की उपधारा (3)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, “या धारा 125” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3) 2620)]
 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 सुजाता चतुर्वेदी,
 प्रधान सचिव।

10 सितम्बर 2018

एस० ओ० 234 दिनांक 10 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3) 2620)]
 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 सुजाता चतुर्वेदी,
 प्रधान सचिव।

The 10th September 2018

S.O. 234 Dated 10th September 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force with effect from 10th September 2018.
2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017,
 - (i) in rule 117,
 - (a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Commissioner may, on the recommendations of the Council, extend the date for submitting the declaration electronically in **FORM GST TRAN-1** by a further period not beyond 31st March, 2019, in respect of registered persons who could not submit the said declaration by the due date on account of technical difficulties on the common portal and in respect of whom the Council has made a recommendation for such extension.”;

(b) in sub-rule (4), in clause (b), in sub-clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the registered persons filing the declaration in **FORM GST TRAN-1** in accordance with sub-rule (1A), may submit the statement in **FORM GST TRAN-2** by 30th April, 2019.”;

(ii) in rule 142, in sub-rule (5), after the words and figures “of section 76”, the words and figures “or section 125” shall be inserted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-3) 2620)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 836-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>